राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, महात्मा गांधी नरेगा)
शासन सचिवालय, जयपुर।

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

क्रमांक एफ 1(26)ग्रावि / नरेगा / स.टास्क / 2011–12

जयपुर, दिनांक : 15 APR 2021

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषयः–महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कार्यो के समय के संबन्ध में।
प्रसंगः– विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 16.12.20

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 की अनुसूची 1 के पैरा 19 के अनुसार 8 घण्टे की कार्य अवधि मय 1 घण्टे के विश्राम काल के निर्धारित है। राज्य में गर्मी के मौसम को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा कार्य का समय प्रातः 6 बजे से 1:00 बजे करने का निर्णय लिया गया है। अतः राज्य में गर्मी की परिस्थितियों को देखते हुए योजनान्तर्गत कार्य का समय प्रातः 6 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक (विश्राम काल रहित) निर्धारित किया जाता है। यह व्यवस्था दिनांक 16.04.2021 से 15.7.2021 तक प्रभावी रहेगी। इसके उपरान्त कार्यो का समय जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक (ईजीएस) स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए अधिनियम के प्रावधान के तहत अपने स्तर से निर्धारित कर सकेंगे।

यदि कोई श्रमिक समूह समय से पूर्व निर्धारित टास्क के अनुसार कार्य पूर्ण कर लेता है तो वह कार्य की माप मेट के पास उपलब्ध मस्टररोल में अंकित टास्क प्रपत्र में करवाने के उपरान्त एवं समूह के मुखिया के हस्ताक्षर के उपरान्त कार्य स्थल छोड सकता है।

कृपया तद्नुसार कार्यवाही सम्पादित कराना सुनिश्चित करें एवं जारी आदेशों से इस विभाग को भी अवगत कराने का श्रम करें।

भवदीय

(अभिषेक भगोतिया)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव,मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
6. मुख्यालय पर पदस्थापित समस्त अधिकारीगण।
7. अति.जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
8. अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
9. कार्यक्रम अधिकारी एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त राजस्थान।
10. रक्षित पत्रावली।

परियोजना निदेशक एवं
संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस

Scanned with CamScanner